अनु० बी–14 फर्म सं0–562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम– 129)

आदेश – पत्रक– ता0 .... से ....तक ।

जिला –गढ़वा विविध वाद सं0–39 / 2016–17 सन् 2016–17

केश का प्रकार– चल रहे मांग को खारिज करने के संबंध में।

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.07.2016	आवेदक श्री जब्बार अंसारी पिता– मतवर मिंया ग्राम–टंडवा द्वारा आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है क ग्राम–टंडवा के खाता संख्या–37 प्लॉट संख्या–800 रकबा–0.09 1/2 एकड़ भूमि का अवैध रूप से गुलाम रसुल अंसारी के नाम पर चल रहे मांग को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अंचल अधिकारी गढ़वा।	
07.06.2016 04.06.2018	अभिलेख उपास्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत भूमि का जांच पतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम–टंडवा में मतवर मिंया ने खाता संख्या–37 प्लॉट संख्या–800 रकबा–0.06 1/3 एड़क भूमि रूपकलेशा बीबी के केवाला संख्या–2099 दिनांक–16.03.1966 को विक्री कर चुके है। इसी भूमि को मतवर मिंया ने गुलाम रसुल अंसारी को केवाला संख्या–2931 दिनांक–06.06.1977 को खाता संख्या–37 प्लॉट संख्या–800 रकबा–0.09 1/2 एड़क भूमि रजिस्ट्री किये है इसी केवाला के आधार पर विविध वाद संख्या–98/2009–10 के अनुसार गुलाम रसुल अंसारी के नाम से खाता संख्या–37 प्लॉट संख्या–800 रकबा–0.09 1/2 एकड़ का मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या 32 पर खोला गया है। हल्का कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि पूर्व में मतवर मिंया द्वारा रूपकलेशा बीबी के खाता संख्या–37 प्लॉट संख्या–800 रकबा–0.06 1/3 एकड़ भूमि केवाला द्वारा विक्री गई भूमि को दुवारा मतवर मिंया ने गुलाम रसुल अंसारी को खाता संख्या–37 प्लॉट संख्या–800 रकबा–0.09 1/2 एकड़ भूमि विक्री किया है। प्रतिवेदन में आगे उल्लेख किया गया है कि पूर्व का विक्री की गई भूमि का रकबा–0.06 1/3 एकड भूमि घटा कर 0.03 1/6 एकड का मांग खोला जाना चाहिए था और 0.06 1/3 एकड़ रकबा खारिज किया जा सकता है। जांच प्रतिवेदन आधार पर दोनों पक्षों को नोटिश निर्गत करें। अंचल अधिकारी गढ़वा।	

13.06.2018

अभिलेख उपस्थापित किया गया।

दोनों पक्ष उपस्थित हुये। विपक्षी गुलाम रसुल अंसारी पिता निजामुद्दिन अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुये ग्राम टंडवा के खाता संख्या 37 प्लॉट 800 रकबा 0.09½ एकड़ भूमि का आवेदक के नाम से जमाबंदी कायम करने का विरोध किया गया। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा बताया गया।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा दोनों द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजात तथा न्यायालय में रखा गया पक्ष को सुना तथा अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भूमि पर दावा करते हुये जमाबंदी कायम करने का विरोध किया।

अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजात एवं विपक्षी श्री गुलाम रसुल अंसारी द्वारा प्रस्तावित भूमि ग्राम टंडवा के खाता सं० 37 प्लॉट 800 रकबा 0.09½ एकड़ भूमि पर अपना दावा बताकर जमाबंदी कायम का विरोध किया गया। आवेदक प्रश्नगत भूमि को सक्षम न्यायालय में टाईटल सुट दायर कर सकते हैं। मामला स्वत्व से संबंधित होने के कारण आवेदक के आवेदन को खारिज की जाती है।

टंकित एवं संशोधित

ह० 13/06

अंचल अधिकारी
गढ़वा

ह० 13/06

अंचल अधिकारी
गढ़वा